

श्री. वि. वि. वि.

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003
(उत्तरांचल विधेयक संख्या 03 सन् 2003)

(भारतीय गणतंत्र के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:)

विधेयक श्री. वि. वि. वि.

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2002 के संशोधन हेतु अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ --

- (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
- (3) यह दिनांक 15 मार्च, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(2) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4, के परन्तुक में संशोधन :-

अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4 के परन्तुक को निम्नवत संशोधित समझा जायेगा-

"प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ष 2000-2001 के करनिर्धारण अथवा पुनः करनिर्धारण 31 मार्च, 2004 तक पारित किये जा सकते हैं।"

(3) निरसन और अपवाद

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश 2002) अध्यादेश, 2003 एतद्वारा निरसित किया जाता है।